न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 176/2016 निर्णय दिनांक :– 15·11·19

उनवानी दावा :

1. जयसिंह पुत्र स्व0 प्रभूसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम बालून्दा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

– प्रार्थी –

बनाम

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रभू सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम बालून्दा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. शिवराज सिंह पुत्र श्री प्रभू सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम बालून्दा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. किशनलाल पुत्र श्री प्रभू सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम बालून्दा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. श्रीमति रामकन्या पत्नि किशनलाल जाति दरोगा निवासी बालून्दा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
5. श्रीमति सुगन कंवर पत्नि रामसिंह जाति मराठा राजपूत निवासी ग्राम नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक राज0
6. श्रीमति उर्मिला कंवर पत्नि शिवसिंह नरूका जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम बालून्दा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
7. तहसीलदार दूनी जिला टोंक (राज.)

–प्रतिपक्षीगण –

उपस्थितिः–

श्री बाबूलाल मीणा	**श्री सत्यनारायण धाकड़**
अधिवक्ता प्रार्थी	**अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 4**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए.

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजीयात हाल खसरा नम्बर 617 रकबा 1.33 है0 में 6/7 हिस्सा वाके ग्राम बालून्दा तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि पर कुआं खुदवा रखा है। जिस पर प्रार्थी का हमेशा आना जाना रहता है। प्रार्थी अपनी आराजी कृषि भूमि पर समय समय पर हकाई जुताई करने तथा कृषि कार्य हेतु ट्रेक्टर व अन्य साधनों का व प्रार्थी का आना जाना लगा रहता है। उक्त कृषि–भूमि पर आने जाने हेतु राजस्व रिकार्ड में सरकारी रास्ते की भूमि चिन्हित नही है तथा ना ही वर्तमान मे प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता मोजूद है। इस कारण प्रार्थी की कृषि भूमि पर जाने के लिए अप्रार्थीगणों की लगती हुई कृषि भूमि से गुजरना पडता है। इस कारण प्रार्थी का अपनी आराजीयात पर आने जाने से अप्रार्थीगणों द्वारा रोका जाता है तथा बाधा उत्पन्न

करते है तथा प्रार्थी से लडाई झगडा करने हेतु उतारू है। प्रर्थी को अपनी कृषि भूमि पर आने जाने में परेशानी का सामना करना पडता है।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

तहसीलदार दूनी द्वारा जवाब /मौका रिपोर्ट पेश की गई जिसके अनुसार जिसमें प्रार्थी को आराजी खसरा नम्बर 617 पर आने जाने के लिए अन्य काई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। सडक से चरागाह एवं खातेदारी के खेतों से होकर की खसरा नम्बर 617 पर पहुंचता है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ते की चोडाई 4 मीटर तथा लम्बाई खसरा नम्बर 618 में 84 मीटर, खसरा नम्बर 619 में 38 मीटर, खसरा नम्बर 620 में 62 मीटर, खसरा नम्बर 621 में 68 मीटर, खसरा नम्बर 650 में 64 मीटर, खसरा नम्बर 654 में 16 मीटर, खसरा नम्बर 655 में 14 मीटर यानि कुल 1384 वर्गमीटर होगी। उक्त भूमि की डी0एल0सी0 दर 250200/– रू0 प्रति हैक्टेयर है। आवेदित भूमि प्रार्थी के दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी खसरा नम्बर 650, 620, 621, 619, 618 में से रास्ता चाहता है उक्त खसरा नम्बरान में से 655 एवं 654 से निकलना होगा। चाहे रास्ते का नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य से कोई संरचना जैसे पेड, दिवार नही है। अप्रार्थी उक्त रास्ता देने के लिए सहमत नही है। खसरा नम्बर 655 रकबा 15.42 हे0 एवं खसरा नम्बर 654 रकबा 1.24 है0 गै0मु0 रास्ता दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 655 में से सडक निकल रही है जहां से प्रार्थी स्वयं के खेत में आने जाने का रास्ता चाहता है।

पत्रावली बहस में नियत की गई। अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी को ख. नं. 617 में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट में भी इसका उल्लेख किया है कि प्रार्थी की आवश्यकता आत्यन्तिक है। प्रार्थी एक बहुत ही गरीब काश्तकार है जिसको कोई भी अपनी आराजी में जाने हेतु रास्ता नहीं देता है। अतः प्रार्थी को अपनी आराजी में काश्त करने हेतु आने जाने के लिए रास्ता दिया जाना अति आवश्यक है। यदि प्रार्थी को रास्ता नही दिया गया तो प्रार्थी की आराजी भूमि पड़त रह जाऐगी और अनावश्यक लड़ाई झगडे बढेंगे।

अप्रार्थी संख्या 7 ने बहस में जवाब के तथ्यो को दाहराते हुए प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता वादी के अनुसार 617 मे जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की आराजी में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और प्रार्थी की आवश्यकता आत्यंन्तिक है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी को काश्त करने हेतु अपनी आराजी में आने जाने हेतु रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। तहसीलदार दूनी ने अपनी रिपोर्ट में रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक बताई है और आवेदित रास्ते के मध्य कोई संरचना नही है। तहसीलदार दूनी के अनुसार ख. नं. 655 चरागाह भूमि है जिसमें सड़क बनी हुई है, जहां से प्रार्थी अपनी आराजी भूमि में जाने हेतु रास्ता चाहता है और ख. नं. 654 गै. मु. रास्ता दर्ज रिकॉर्ड है जिनमें से रास्ता लेने की आवश्यकता नहीं है। इन खसरा नम्बरो में से प्रार्थी आसानी से आ जा सकता है। अतः तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस में दर्शित लाल स्याही अनुसार प्रस्तावित रास्ते की प्रस्तावित रास्ते की चोडाई 4 मीटर तथा लम्बाई खसरा नम्बर 618 में 84 मीटर, खसरा नम्बर 619 में 38 मीटर, खसरा नम्बर 620 में 62 मीटर, खसरा नम्बर 621 में 68 मीटर, खसरा नम्बर 650 में 64 मीटर ख्यानि कुल 1354 वर्गमीटर

होगी। उक्त भूमि की डी0एल0सी0 दर 250200/– रू0 प्रति हैक्टेयर है। आवेदित भूमि प्रार्थी के दर्ज रिकार्ड है। अतः तहसीलदार दूनी 1354 वर्गमीटर क्षैत्रफल के रास्ते की तरमीम प्रार्थी द्वारा उक्त डी.एल.सी दर के अनुसार या वर्तमान में प्रचलित डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि जमा करवाने के पश्चात करे। बैंक अपनी राशि तरमीम भूमि के पश्चात शेष बची भूमि से वसूल करे। तत्पश्चात यह राशि सम्बन्धित खातेदार अप्रार्थी/अप्राथीगण को उनके हिस्सानुसार राशि प्रदान कर रिपोर्ट न्यायालय हाजा में पेश करे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली